न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–14, शाहजहाँपुर।

CNR NO.	**UPSH040261462022**

<u>दिनांक–12.10.2022</u>

अभियुक्त कामरान की ओर से मु0अ0सं0–498/2022, धारा–420, 467, 468, 471 भा0द0सं0, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त/आवेदक द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पर वादी मुकदमा के प्लाट का बैनामा फर्जी व कूटरचित तरीके से किसी अन्य को कर दिये जाने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहाँपुर।